दृष्टि *The Vision*

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - XIV)

GENERAL STUDIES (Test - XIX)

मॉड्यूल - XIV / Module - XIV

DTVF/18(JS)–M–**GS14**

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): Anoop Meena

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? | हाँ | ✓ | नहीं | |

मोबाइल नं. (Mobile No.): ____________

ई-मेल पता (E-mail address): ____________

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 14 / Aug 18, 2018

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2018] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2018]:

0	8	3	4	4	6	9

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिंदी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): ____________

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

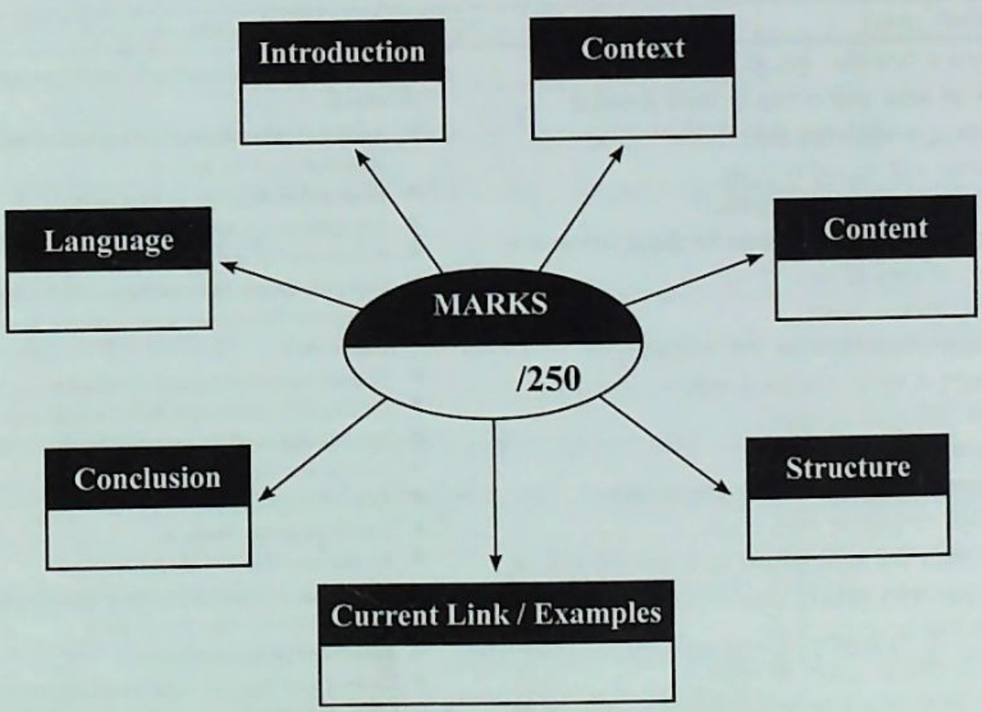

मूल्यांकनकर्त्ता (कोड तथा हस्ताक्षर)
Evaluator (Code & Signatures)

पुनरीक्षणकर्त्ता (कोड तथा हस्ताक्षर)
Reviewer (Code & Signatures)

मूल्यांकन की पद्धति

प्रिय अभ्यर्थियों,

आपकी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए परीक्षक-समूह के सदस्य निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान रखते हैं। आप भी इन्हें ध्यान से पढ़ें ताकि आप अपने प्राप्तांकों का तार्किक कारण समझ सकें।

परीक्षकों के लिये निर्देश

1. मूल्यांकन में अंकों का वही स्तर रखा जाना चाहिये जैसा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के परीक्षकों द्वारा रखा जाता है।
2. सामान्य अध्ययन का जो उत्तर हर दृष्टिकोण से सटीक व उत्कृष्ट है; उसे अधिकतम 60% अंक दिये जाने चाहियें क्योंकि आयोग द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में भी इससे अधिक अंक मिलना लगभग असंभव है। वैकल्पिक विषयों के उत्कृष्ट उत्तरों तथा श्रेष्ठतम निबंधों में अधिकतम 70% तक अंक दिये जा सकते हैं।
3. कृपया अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार करें-

Method of Evaluation

Dear Candidates,

While assessing your answer-scripts, the evaluators are required to follow the given instructions. You should also read them carefully to understand the logic behind the marks obtained by you in the tests.

Instructions for the Evaluators

1. The level of marks while evaluating the answers should be kept as per UPSC (Union Public Service Commission) standards as far as possible.
2. The answers of General Studies which are accurate and excellent from every perspective should be awarded a maximum of 60% marks as it is almost impossible to get more than that in actual UPSC examination. Excellent answers in optional subjects and the best written essays can be awarded a maximum of 70% marks.
3. Please assign the marks according to the following table-

उत्तर का स्तर (Standard of Answer)	सामान्य अध्ययन में अंक-स्तर (Marks Standard G.S.)	वैकल्पिक विषय तथा निबंध में अंक-स्तर (Marks Standard - Optional Subject and Essay)
उत्कृष्ट (Excellent)	51-60%	61-70%
बहुत अच्छा (Very Good)	41-50%	51-60%
अच्छा (Good)	31-40%	41-50%
औसत (Average)	21-30%	31-40%
कमजोर (Poor)	0-20%	0-30%

4. कृपया उत्तर में निम्नलिखित गुणों को विशेष प्रोत्साहन दें-
   - प्रश्न की सटीक समझ व उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा
   - संक्षिप्त, टू-द-पॉइंट लेखन शैली
   - प्रामाणिक तथ्यों का समुचित उपयोग
   - अधिकतम जरूरी बिंदुओं का समावेश
   - सरकारी दस्तावेज़ों (मंत्रालयों/आयोगों की रिपोर्ट्स, पॉलिसी पेपर्स आदि) के संदर्भों की चर्चा
   - प्रभावी भूमिका व निष्कर्ष
   - समकालीन घटनाओं/प्रसंगों को उत्तर से जोड़ना
   - दृष्टिकोण में संतुलन, समावेशन व गहराई
   - अच्छी, साफ-सुथरी हैंडराइटिंग
   - भाषा में प्रवाह
   - आवश्यकतानुसार डायग्राम्स, नक्शों आदि का प्रयोग
   - तकनीकी शब्दावली का सटीक उपयोग
   - सुंदर प्रस्तुति शैली (छोटे पैराग्राफ्स रखना, महत्त्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करना आदि)
   - विराम चिह्नों का समुचित प्रयोग
   - भाषा में वर्तनी व व्याकरण की शुद्धता
5. टॉपर्स के अनुभव बताते हैं कि उत्तर की विषयवस्तु अच्छी होने पर आयोग के परीक्षक शब्द-सीमा के थोड़े बहुत उल्लंघन पर अंक नहीं काटते हैं। कृपया आप भी इसी दृष्टिकोण के अनुसार अंक-निर्धारण करें।

4. Please devote special attention to the following qualities in an answer–
   - Accurate understanding of the question and systematic presentation of the answer
   - Crisp and to the point writing style
   - Adequate use of authentic facts
   - Inclusion of all the important points
   - Citing of relevant facts and figures from relevant official documents (Ministries /Commissions Reports, Policy Papers etc.)
   - Effective introduction and conclusion
   - Linking of current events and situations with the answer
   - Balance and depth in answer-writing
   - Legible and clean handwriting
   - Flow of language
   - Use of diagrams, maps etc
   - Precise use of technical terminology
   - Beautiful presentation style (small paragraphs, underlining important words etc.)
   - Proper use of punctuations
   - Correct spellings and right use of grammar
5. Experience of UPSC toppers also indicates that if the content of the answer is good, the UPSC examiners do not cut the marks on slight violations of the word-limit. Please award marks strictly according to the above-mentioned instructions.

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

1. संसदीय समितियों के गठन के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए लोक लेखा समिति के कार्यों और उसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Discuss the objectives behind constitution of parliamentary committees. Also highlight the functions and limitations of the Public Accounts Committee. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संसदीय समितियों से तात्पर्य लघु विशेषज्ञ निकायों से है इनमें संसद के जनप्रतिनिधि शामिल होते है इनके सदस्य प्राय: राज्यसभा व लोकसभा से सम्बद्ध होते है

इन समितियों का गठन निम्नलिखित उद्देश्यो की पूर्ति हेतु किया गया था -

→ संसद के पास समय का अभाव होता है अत: संसदीय समितियाँ इस समयाभाव की क्षतिपूर्ति हेतु सक्षम होती है

→ संसदीय सदस्यों के पास विशेषज्ञता की सापेक्षत: कमी होती है अत: जटिल व तकनीकी पहलु जैसे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का विश्लेषण करने में सहायक होती है

→ इनमें विपक्षी सदस्यों को भी शामिल करके भी सरकारी नीतियों में उनका समावेशन करने का प्रयास किया जाता है

→ ये दलबदल के प्रभाव से मुक्त रहती है अत: राजनीतिकरण से प्राय: बची रहने से

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

विषयों पर पर्याप्त विश्लेषण कर पाती है।

→ संसदीय स्थगन से विधायी कार्यों में उत्पन्न होने वाली ~~अस्थिरता~~ बाधा को दूर करने हेतु।

→ कार्यपालिका को वित्तीय व विधायी रूप से उत्तरदायी बनाए रखना।

लोकलेखा समिति स्थायी समिति है इसमें 21 सदस्य शामिल होते हैं जिनमें राज्यसभा से 7 व लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष स्थापित परंपरा के अनुसार विपक्षी दल से होता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं—

→ नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का विश्लेषण करके संसदीय परिचर्चा हेतु आसान बनाना।

→ विभिन्न विनियामक जैसे सेबी। ~~...~~ RBI के कार्यों की निगरानी व समय-समय पर समन। जैसा कि विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर को समन किया गया था।

→ सरकारी व्यय, राजकोषीय स्थिति, योजनाओं

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

की स्थिति, आदि से संबंधित विषयों पर भी यह चर्चा करती है

इसकी निम्नलिखित सीमायें हैं -

→ सदस्यों की समय पर नियुक्ति न हो जाना।

→ इसका कार्य पोस्टमार्टम के समान होता है क्योंकि कार्यनिष्पादन के उपरांत ही यह चर्चा करती है

→ इसमें तकनीकी विशेषज्ञता की प्राय: कमी होती है जैसे CAG की रिपोर्ट के विश्लेषण हेतु CAG सचिवालय की सहायता लेना।

→ कार्यवाही का प्राय: राजनीतिकरण देखा जाता है

समग्र रूप में संसदीय समितियों की अग्रसक्रिय भूमिका, विशेषज्ञता प्रदान करके इनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

2. महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख करें। क्या हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नोटिस का लाया जाना एवं उसका खरिज होना न्यायपलिका में अनुचित हस्तक्षेप को इंगित करता है? स्पष्ट कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Give an account of the process of impeachment. Does the recent case of failed attempt to bring in the impeachment notice against the Chief Justice of India point towards an interference in functioning of judiciary? Elucidate. (200 words) 12.5

महाभियोग का संबंध न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया से है।

महाभियोग मुख्यत: दो आधारों पर ही चलाया जा सकता है- कदाचार व अक्षमता। कदाचार व अक्षमता का निर्धारण एक न्यायिक समिति करती है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश व एक प्रख्यात न्यायविद् शामिल होता है।

इस प्रक्रिया हेतु सबसे पहले संसद में प्रस्ताव लाया जाता है (राज्यसभा में न्यूनतम 50 सदस्य व लोकसभा में 100 सदस्य)। इसके उपरांत न्यायिक समिति द्वारा चर्चा की जाती है। यदि न्यायिक समिति संसद से महाभियोग की अनुमति देती है तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत (उपस्थित सदस्यों का ~~बहुमत~~ 2/3 तथा कुल सदस्यों का बहुमत) से प्रस्ताव पारित किया जाता है इसके

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

उपरांत राष्ट्रपति न्यायाधीशों के हटाने का आदेश जारी करता है।

हालिया प्रकरण मुख्यत: भारत में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कदाचार के कारण लाया गया था परंतु यह प्रस्ताव उच्च सदन में पारित न होने के कारण महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चल पायी।

प्रस्ताव मात्र का पारित न होना साथ ही बिना स्पष्ट तथ्यों व आंकड़ों के महाभियोग प्रस्ताव लाना वास्तविक रूप से न्यायपालिका में विधायी हस्तक्षेप को दर्शाता है।

ऐसे प्रस्ताव मुख्यत: कभी-कभी राजनीतिक कारणों से प्रेरित होते है इन प्रस्तावों के कारण न्यायाधीश स्वतंत्र निर्णय लेने व साहसिक कामों को उठाने से हिचकिचाते है इससे निर्णय की गुणवत्ता के साथ-साथ न्यायिक स्वतंत्रता भी प्रभावित होती है

परंतु यहां यह स्पष्ट करना उचित है कि यदि उचित कारण हो तो

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

महाभियोग लाया जा सकता है क्योंकि यह न्यायपालिका - विधायिका में शक्ति संतुलन की स्थापना करता है परंतु इस संदर्भ में न्यायिक प्रक्रिया, विशेषज्ञ परिचर्चा के उपरांत ही ऐसे कदम उठाने चाहिए। साथ ही न्यायपालिका द्वारा संदेहास्पद निर्णयों से भी बचना चाहिए।

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

3. हाल ही में 123वें संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन पिछड़े वर्ग हेतु सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में कितना उपयोगी सिद्ध होगा? चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

The 123rd constitutional amendment provides for constitutional status to the Commission for Backward Classes. To what extent this amendment will be useful in ensuring social justice to the backward classes? Discuss. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

हाल में पिछड़ा वर्ग आयोग को विधिक आयोग से संवैधानिक आयोग के रूप में अनुच्छेद 338 B में स्थापित किया गया है।

इसे संवैधानिक आयोग का दर्जा देकर यह सुनिश्चित किया गया है कि पिछड़ा वर्ग ~~आयोग~~ जातियों की सूची का निर्माण, समावेशन-अपवर्जन के सिद्धांत, क्रीमीलेयर को लागू करने का कार्य एक संवैधानिक संस्था के पास होगा।

सबसे पहले तो यह आयोग राज्य व केंद्र स्तरीय आयोग के मध्य जातियों व लाभार्थियों की सूची से उत्पन्न होने वाले अंतरों को समाप्त करके अस्पष्टता व अतिव्यापन की स्थिति को समाप्त करेगा।

वस्तुतः वर्तमान में राज्यों व केंद्र स्तर पर अलग-अलग सूचियां होती हैं

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

जिससे तात्कालिक राजनीतिक लाभ लेने हेतु प्रायः इनमें परिवर्तन किया जाता है परंतु अब यह कार्य आयोग के परामर्श से संसद द्वारा किया जाएगा। जिससे वर्गीकरण में स्पष्टता होगी।

यह आयोग क्रीमीलेयर की अवधारणा को स्पष्ट रूप से लागू करके उचित लाभार्थियों व पिछड़ी जनजातियों को लाभ पहुँचायेगा एवं प्रभावशाली जातियों के प्रभाव को कम करेगा। इससे समावेशन बढ़ेगा व सामाजिक न्याय स्थापित होगा।

यह आयोग तटस्थ होकर निगरानी व पर्यवेक्षण करेगा जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की न्यूनतम संभावना होगी एवं वास्तविक वर्गों को लाभ मिलेगा। जैसे उप-वर्गीकरण के द्वारा पिछड़ी जातियों को प्रभावशाली जातियों की तुलना में अधिक लाभ देना।

समग्र रूप में यह आयोग सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है क्योंकि नीतिगत एकरूपता के साथ-साथ

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

स्पष्ट वर्गीकरण स्थापित होगा।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

5. भारत में स्थानीय स्वशासन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना सफल रहा है? मूल्यांकन करें। साथ ही, इस संदर्भ में 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इसके सकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

Evaluate the success of which local self-government with respect to its objectives. Highlight the provisions of 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan' and discuss its positive impacts. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

स्थानीय स्वशासन भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। यह 73rd व 74th संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में नगरीय व ग्रामीण (73rd) स्तर पर समाहित किया गया।

स्थानीय शासन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुधा सफल रहा है। इसने भारतीय लोकतंत्र में जनसहभागिता को बढ़ाया है। महिलाओं व सुभेद्य वर्गों की लोकतांत्रिक समझ को बढ़ाया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार के माध्यम से इसे जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता मिली है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 44% तक बढ़ी है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

वहीं जनजातियों की भागीदारी में जापेक्षत २ गुना इजाफा हुआ है

परंतु स्थानीय प्रशासन पंचायत प्रति सिंड्रोम (पितृसत्तात्मक सोच), वित्तीय रूप से राज्यों पर निर्भरता, पर्याप्त शक्ति हस्तांतरण न होने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे है

इन समस्याओं को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया है

यह अभियान पंचायतों के निधियों के वास्तविक हस्तांतरण का प्रावधान करता है। जिसका लाभ यह होगा की पंचायतों का प्राधिकार व वित्तीय व्यवस्था बढ़ेगी एवं नीतियों को बेहतर रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।

यह अभियान पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाने के साथ साथ जागरूकता को प्रसार करने का भी समर्थन करता है इतना

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

लाभ यह होगा कि पंचायतों के प्रतिनिधि व कर्मियों में हित संघर्ष रुकेगा।

इसमें पंचायतों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है कि उनके लिए आवंटित धन की जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही नीति व कार्यक्रमों की सफलता हेतु सोशल ऑडिट भी करवा सकें। इससे पारदर्शिता व जवाबदेहिता बढ़ने के साथ-साथ जनसहभागिता बढ़ेगी।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

6. अनुच्छेद-142 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए यह बताएँ कि क्या न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद का उपयोग अपने क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण में किया है? इसके लिये न्यायिक संयम कितना कारगर साबित होगा? स्पष्ट कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Illustrate the provisions of Article 142 and discuss if the judiciary has used it to step beyond its jurisdiction? Assess the effectiveness of judicial restraint to prevent this encroachment. (200 words) 12.5

अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान का एक विशिष्ट अनुच्छेद है। यह उच्चतम न्यायालय को व्यापक शक्ति प्रदान करता है

इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि न्यायालय भारतीय क्षेत्र के किसी भी प्राधिकरण के विरुद्ध डिक्री या निर्देश पारित कर सकता है यदि इन डिक्रीयां निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो यह न्यायिक अवमानना होगी।

यह कटुसत्य है कि न्यायपालिका ने संविधान के इस अस्पष्ट प्रावधान का उपयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों का निष्पादन इसके प्रावधानों के अंतर्गत ही किया गया

है जैसे- राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब बंदी, बिहार में शराबबंदी आदि।

बात यहीं तक सीमित नहीं है उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अतिसक्रियता दिखाते हुए न्यायिक विधान की भूमिका भी अपनायी है जैसे - ~~ब~~ रैगिंग रोधी अधिनियम के लिए दिशानिर्देश जारी करना; अत्याचार निवारण एक्ट 1989 में संशोधन करना; लोकपाल की नियुक्ति हेतु कार्यपालिका को निर्देश देना आदि।

न्यायिक सक्रियता को इस दौर में न्यायिक संयम (अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करना) के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

वस्तुतः न्यायिक संयम के अंतर्गत उच्चतम न्यायपालिका न्यायिक विधान का निर्माण या कार्यपालिका की भूमिका न निभाकर अपनी भूमिका को केवल सलाहकारी व निर्देश देने तक

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

सीमित रहेगा। इसका लाभ यह होगा कि विधायिका व कार्यपालिका की अनुक्रियाशीलता व जवाबदेहिता बनी रहेगी।

साथ ही इसके द्वारा न्यायपालिका के द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत व नियंत्रण व संतुलन की स्थापना की पुनर्स्थापना करके प्रभावी बनाया जा सकता है।

न्यायिक सक्रियता को नियंत्रित करने हेतु जरूरी है कि विधायिका व कार्यपालिका भी अपनी भूमिका नियमित व अनुक्रिय होकर निभाती रहें।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

7. क्या अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में सांविधानिक प्रक्रियाएँ असफल रही हैं? स्पष्ट कीजिये। अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के क्रम में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए समाधान के उपाय भी सुझाएँ। (200 शब्द) 12.5

Have the constitutional provisions failed in resolving interstate water disputes? Elucidate. Highlight the provisions of Interstate River Water Disputes (Amendment) Bill, 2017 and suggest some measures for resolving such disputes. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान हेतु संविधान के अनुच्छेद 262 में संसद द्वारा न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है इसकी अधिकारिता न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से परे है

इसी अनुच्छेद के आधार पर नदी जल बोर्ड अधिनियम व नदी जल विवाद निवारण अधिनियम का निर्माण किया गया है

संवैधानिक प्रावधान आंशिक रूप से सफल व असफल रहे हैं। जैसे कावेरी जल विवाद पिछले 28 वर्षों से लंबित है तो रावी जल विवाद 30 वर्षों से। परंतु अनेक नदी जल विवादों का पर्याप्त समाधान भी किया गया है जैसे यमुना जल विवाद, सतलुज, नर्मदा जल विवाद।

एक समस्या यह भी उत्पन्न हुयी है कि राज्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय की शरण लेने से संवैधानिक प्रावधानों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

इस संदर्भ में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2017 प्रस्तुत किया इसके निम्नलिखित है-

→ विवाद समाधान समिति की स्थापना के माध्यम से अधिकरण पूर्व की अवस्था में विवादों का समाधान करना।

→ वर्तमान बहुल न्यायाधिकरण प्रथा के विपरीत एकल व स्थायी अधिकरण की स्थापना करना।

→ इसमें एक अध्यक्ष (3वर्ष या 70वर्ष), एक उपाध्यक्ष व छह सदस्य शामिल होंगे।

→ तकनीकी सहायता हेतु केंद्रीय जल सेवा के अभियांत्रिकों की एक समिति होगी।

→ अधिकतम 4.5. वर्ष में विवादों का समाधान अनिवार्य है

नदी जल विवादों के समाधान हेतु अन्य उपाय निम्नलिखित है-

→ अंतर्राज्यीय परिषद का उपयोग करना।

→ नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके राज्यों के हस्तक्षेप नियंत्रित करना

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

→ राष्ट्रीय नदी जल नीति व नदी जोड़ो परियोजना का अनुसरण करके नदियों में जल की आपूर्ति बढ़ाना।

→ जल के विषय को समवर्ती सूची में शामिल करना, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का प्रयोग करना, इसकी बेसिन में अनियमित गतिविधियों को नियंत्रित करना।

अतः हेलसिंकी, डुँपियत व बर्लिन नियमों व मानदंडों (जैसे कृषि जलवायु प्रतिरूप का अनुसरण करना) का अनुप्रयोग करके इन विवादों का समाधान किया जा सकता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

8. निवारक विरोध क्या है? क्या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन को प्रश्रय देता है? इसके पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिये। (200 शब्द) 12.5

What is preventive detention? Does it amount to breach of personal liberty? Give arguments in favour of and against it. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

निवारक निरोध का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 मे है यह सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के बिना आपराधिक न्याय प्रणाली के पक्षों को किसी व्यक्ति गिरफ्तार करने की अनुमति प्रदान करता है

यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है क्योंकि बिना कारण बताए तीन महीने की गिरफ्तारी संभव है यह गिरफ्तारी अस्पष्ट मानक जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था को खतरे के नाम पर की जाती है

इसके अतिरिक्त यह सामान्य न्याय प्रक्रिया के विपरीत अभियुक्त को बिना न्यायपालिका की अनुमति के न्यायिक सलाह लेने से प्रतिबंधित करती है अत: यह समानता के अधिकार गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का विरोधी है

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this spa

निवारक निरोध के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए अराजकतावादी तत्वों के नियंत्रित करने हेतु यह जरूरी है

साथ ही चूँकि वर्तमान मे भारत आतंकवाद, नक्सलवाद, ड्रग जैसी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है अतः इन चुनौतियों का सामना करने हेतु इसका औचित्य ठहराया जा सकता है

परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक व्यवस्था के नाम पर बिना तर्क के गिरफ्तारी उचित नहीं है कभी - कभी सत्तारूढ़ दल अपने प्रतिद्वंद्वी दलों व विचारों को दबाने हेतु इसका दुरुपयोग करते है

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पीड़ित को समय पर न्यायिक सलाह नहीं लेने दी जाती है एवं न ही न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है अतः यह मूलाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अत: राजनीतिक हितों व वैचारिक मतभेदों से प्रेरित होकर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। विधि आयोग तथा संविधान समीक्षा आयोग ने इस प्रावधान को केवल अंतिम उपकरण के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी है।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

9. लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि क्या इसने वर्तमान में विपक्ष की अवाज़ को दबाने का कार्य किया है? (200 शब्द) 12.5

Elucidate the powers and functions of Lok Sabha Speaker. Has the office of speaker been used recently to suppress the voice of opposition? (200 Words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय प्रणाली का एक समन्वयकारी व निर्णायक पद है। उसका महत्व इसी बात से पता चलता है कि संविधान में इसे वरीयता क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान 7वें नंबर पर रखा है।

इसके निम्नलिखित शक्तियाँ व कार्य हैं—

→ लोकसभा कार्यप्रणाली के नियम_विनियम निर्धारण करना। यदि पर्याप्त कोरम (1/10) न हो तो कार्यवाही स्थगित करना।

→ दल-बदल विरोधी कानून के अनुरूप सदस्यों के अयोग्यता का निर्धारण करना।

→ कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं: का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है

→ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

→ यह संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है

→ लोकसभा की अवमानना हेतु न्यायिक प्रक्रिया का निर्धारण करता है।

वर्तमान में कई ऐसे विषय सामने आये हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा अध्यक्ष दलीय प्रवृत्तियों से ग्रसित है।

बिना उचित विचारण के किसी भी विधेयक को दलीय हितों के अनुरूप धन विधेयक बता देना ताकि राज्यसभा में सामान्य परिचर्चा से बचा जा सके। ऐसा आधार विधेयक के बारे में देखा गया है जो न्यायपालिका में विचाराधीन है।

दल बदल कानून की शक्तियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। जैसे कि 2006-07 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य किए गए सदस्यों की न्यायपालिका द्वारा आलोचना की।

प्रश्नकाल, शून्यकाल, वित्त विधेयक या

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

सामान्य विधेयकों पर चर्चा हेतु निष्पक्षकारी समयावंटन न करने से विपक्षी दलों द्वारा प्रायः विरोध किया जाता रहा है।

अतः लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को स्पष्ट करने की जरूरत है जैसे - दलीय प्रणाली से मुक्त होकर अध्यक्ष पद धारण करना, दल-बदल विरोधी कानून हेतु मुख्य निर्वाचन आयोग को प्राधिकृत करना आदि।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

10. संसदीय विशेषाधिकार ने समानता के स्थान पर असमानता को ही महिमा-मंडित किया है। इस तथ्य का मूल्यांकन करते हुए इसके संहिताकरण की आवश्यकताओं की चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

The parliamentary privileges enshrine inequality instead of equality. Examine. Also discuss the need for its codification. (200 Words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में वर्णित हैं। इनका उद्देश्य सदन में सदस्यों की वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना था।

संसदीय विशेषाधिकार का मूल उद्देश्य यह भी था कि जन प्रतिनिधि जनभावनाओं को उचित रूप से व्यक्त करके प्रगतिशील नीति-निर्माण कर सकें। परंतु वर्तमान में ये विशेषाधिकार अपने मूल उद्देश्यों से भटकते प्रतीत हो रहे हैं-

ये विशेषाधिकार प्रतिबंध विहीन हैं जबकि सामान्य वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-19) पर अनेक युक्तियुक्त प्रतिबंध निहित होते। इससे जनप्रतिनिधि व जनसामान्य में असमानता बढ़ी है

साथ ही ये विशेषाधिकार

न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर है जबकि जनसामान्य की स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा में आती है अत: यह भी विरोधाभासी है

इन्होंने सांसदों व विधायकों को निजी हितों से प्रेरित होकर प्रश्न पूँछने, स्वयं के बारे में निर्णयन करने (अवमानना पर) करने की शक्ति देकर असमानता को बढ़ाया है

विधि आयोग की 250 वी रिपोर्ट मे संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने की बात कही है यह निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है—

→ संसदीय विशेषाधिकारों की मूल अधिकारों पर अधिभावी स्थिति को समाप्त करके समानता स्थापित करने के लिए संहिताकरण जरूरी है

→ वर्तमान विशेषाधिकार अस्पष्ट व बहुत व्यापक हैं। अत: संवैधानिक अधिकारो व जनसामान्य के हितो के अनुरूप सीमित करना।

→ वर्तमान में ये विशेषाधिकार शक्ति पृथक्करण

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)
कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

के सिद्धांत का उल्लंघन करके स्वयं के मामले में स्वयं ही न्यायाधीश बनते हैं अतः इस प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए संहिताकरण जरूरी है।

→ लोकतंत्र में तार्किक व सकारात्मक आलोचना की परंपरा को बनाए रखने हेतु।

→ मीडिया की स्वतंत्रता (कार्मिक विषय) को बनाए रखने व जनप्रतिनिधियों को निजी हितों को नियंत्रित करने हेतु।

समग्र रूप से मूल अधिकारों के साथ लोक विशेषाधिकारों के समन्वय हेतु इनका संहिताकरण वर्तमान आवश्यकता है।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

11. समय-समय पर सिविल सेवा में लैटरल इंट्री चर्चा का विषय रहा है। इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इससे होने वाले लाभों की चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

Lateral entry into civil services has been a matter of debate from time to time. Discuss its need and the benefits associated with it. (200 Words) 12.5

सिविल सेवा में लेट्रल एंट्री से तात्पर्य है निजी क्षेत्र व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों जैसे PSUs से विशेषज्ञ व अनुभवी लोगों को उच्चस्तरीय सिविल सेवकों का पद प्रदान करना,

भारत में RBI के गवर्नर, SEBI के अध्यक्ष, एयर इंडिया व योजना आयोग, नीति आयोग में पार्श्व प्रवेश की प्रक्रिया का निष्पादन होता रहा है

वर्तमान में भारतीय सिविल सेवा जटिल प्रशासनिक विषय व ~~विशेषज्ञता~~ विशेषज्ञता वाले मुद्दों का समाधान करने में जटिलता महसूस करती है साथ ही भारत में लगभग IAS के 1500 पर रिक्त है अतः योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या आती है

वर्तमान एम तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमता का प्रयोग करने व निजी क्षेत्र के विचारों के समावेशन हेतु यह जरूरी है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

साथ ही वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में यथास्थितिवादिता, लालफीताशाही के प्रवेश आदि के कारण कार्यसंस्कृति प्रभावित हुयी है

सिविल सेवा में लेट्रल एंट्री के निम्नलिखित संभावी लाभ है—

→ सिविल सेवक चूँकि सामान्यज्ञ होते है अतः जनकल्याणकारी कार्य व विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञता के समावेशन के लिए।

→ एक उचित, सहयोगी सह प्रतिस्पर्धी कार्यसंस्कृति का निर्माण संभव होगा. जिससे लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, नहित पर लोपनक की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा।

→ निजी क्षेत्र की सफलताओं व अनुभवों का सरकारी विधि निर्माण व नीति कार्यान्वयन में प्रयोग करना।

→ वर्तमान प्रशासनिक संरचना को प्रगतिशील, जवाबदेह वपारदर्शी

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

बनाने में सहायता मिलेगी।

→ लोक सेवाओं का बेहतर वितरण व पारदर्शी संस्कृति स्थापित होगा।

अतः राजनीतिक कारणों से प्रेरित हुए बिना किसी संवैधानिक संस्था के माध्यम से इस प्रक्रिया का निष्पादन करना चाहिए।

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

12. अनुच्छेद 370 की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए बताएँ कि क्या इसमें संशोधन संभव है? (200 शब्द) 12.5

Elucidate the provisions of Article 370. Is it possible to amend it? (200 words) 12.5

अनुच्छेद 370 एक संक्रमणकालीन प्रावधान है जो भारतीय ~~संविधान~~ के जम्मू-कश्मीर राज्य की विशिष्ट स्थिति से सम्बद्धता रखता है।

इसमें जम्मू कश्मीर के लिए पृथक ध्वज का प्रावधान है साथ ही यह अनुच्छेद राज्य विधायिका को विदेश, संचार व रक्षा के अतिरिक्त सभी विषय प्रदान करता है।

इसलिए सामान्य शक्ति विभाजन व संघीय स्वरूप यहाँ लागू नहीं होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की अनेक उच्च न्यायालय पर अधिकारिता भी नियमित है।

इस अनुच्छेद का परिणाम है अनुच्छेद 35A। यह जम्मू कश्मीर राज्य के नागरिकों की निवास की स्थिति (स्थायी निवासी) को स्पष्ट करता है इसे समानता व स्वतंत्रता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सिविल सेवा प्रणाली भी यहाँ संशोधित रूप से लागू की जाती है

इसमें यह भी प्रावधान है कि इस अनुच्छेद का निरसन जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के कहने पर ही किया जा सकता है

इस अनुच्छेद में संशोधन संभव है परन्तु यह जम्मू-कश्मीर के संविधान सभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा किया जा सकता है

परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि J&K की विघटित हो चुकी संविधान सभा का पुनर्गठन हो। यह संविधानसभा जम्मू कश्मीर के विधायकों से मिलकर बनेगी। इनकी अनुशंसा पर संशोधन संभव है।

इस संशोधन प्रणाली हेतु संसद की भूमिका स्पष्ट नहीं है

चूँकि यह प्रावधान अब

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

२७ संक्रमणकारी प्रावधान था अतः संघीय समानता, समान नागरिक अधिकारों की स्थापना हेतु इसके संशोधन वर्तमान समय की आवश्यकता है। परंतु संशोधन प्रणाली जनसामान्य व जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को विश्वास में लेकर निर्धारित करनी चाहिए।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

13. समाज के उपेक्षित समूह के संदर्भ में किये गए संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। साथ ही, किये गए संवैधानिक उपायों की उपयोगिता का परीक्षण करें। आपके अनुसार उपेक्षित समूह के लिये और कौन-से प्रयास किये जाने चाहिये? (200 शब्द) 12.5

Discuss the constitutional provisions related to the marginalised sections of society and examine their viability. Suggest additional measures to be taken for these groups. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारतीय संविधान राजनीतिक न्याय (मूलाधिकार) के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रणाली (नीति-निदेशक तत्व) की स्थापना करता है,

भारतीय संविधान में उपेक्षित समुदायों हेतु निम्नलिखित प्रावधान हैं-

→ अनुच्छेद 14 में समानता की स्थापना।
अनु० 15 में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेधित करना।
अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन।

→ बाल श्रम निषेधित करना, मानव दुर्व्यापार को रोकना (23-24)।

→ भाषायी व धार्मिक अल्पसं० यकों के लिए संस्थानों की स्थापना की स्वतंत्रता (25-28)। सांस्कृतिक संरक्षण हेतु (अनुच्छेद (29-30) भी प्रावधान है जिनमें भाषायी संरक्षण प्रमुख है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

→ वर्गीय असमानता समाप्त करना (A-38)
कर्मचारियों को उचित कार्यदशा, सहकारी समितियों की स्थापना करना (42)

→ महिलाओं को प्रसूतिसेवा प्रदान करना

→ समान नागरिक संहिता (A-44)

→ विभिन्न संवैधानिक आयोगों की स्थापना करना → ST, SC आयोग (A 338, 338A)

→ अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जनजातीय संरक्षण।

→ विधायिका (लोकसभा व विधानसभा) में आरक्षण तथा स्थानीय निकायों में भी आरक्षण प्रदान करना।

उपेक्षित समुदायों हेतु निम्नलिखित प्रयास भी किये जा सकते हैं -

→ आर्थिक रूप से सुदृढ करने व राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना।

→ ST व SC समुदाय हेतु अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) का बेहतर

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

क्रियान्वयन करके गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना।

→ वनाधिकार अधिनियम 2006 व पंचायती विस्तार एक्ट 1996 का क्रियान्वयन।

→ उदारीकरण के क्रम में विस्थापित समुदायों विशेषकर जनजातियों का बेहतर समावेशन हो।

→ बेहतर स्वास्थ्य व शैक्षणिक सेवा उपलब्ध कराना ताकि एनीमिया, कुपोषण जैसी समस्या का सामना किया जा सके।

जनजातियों के वनोत्पादों की उचित कीमत प्रदान करना।

→ नए उपेक्षित वर्ग जैसे- ट्रांसजेंडर, दिव्यांगों हेतु संवैधानिक प्रावधान करना।

• उपेक्षित वर्गों को आर्थिक रूप से निर्भर करने हेतु स्टैंडअप स्कीम, कौशल निर्माण योजना, मुद्रायोजना आदि में उचित भागीदारी करना।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

14. वर्तमान में भारत के संविधानवाद के लक्ष्यों की पूर्ति में कौन-सी मुख्य बाधाएँ हैं? स्पष्ट कीजिये। साथ ही, आपके अनुसार इसके लक्ष्यों की प्राप्ति में किन उपायों की सहायता ली जानी चाहिये? चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

What are the major impediments in the fulfillment of the aim of constitutionalism in India? Discuss. Also, suggest the measures to be taken to achieve its aims. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संविधानवाद से तात्पर्य है स्थापित संविधान (विधिक संहिता) के द्वारा न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मूलाधिकार, लोकतंत्र आदि का प्रभावी संचलन व क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

भारत में संविधानवाद के समक्ष निम्नलिखित बाधाएँ हैं -

→ सरकार के तीनों अंगों में शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत की क्रमशः कमजोरी हुयी है जैसे कभी न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विधायी व कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है तो कभी समय पर न्यायिक नियुक्ति नहीं की जाती।

→ गैर राज्य अभिकर्ताओं जैसे NGO, विदेशी संस्थाओं आदि की बढ़ती भूमिका के कारण नागरिक अधिकारों के साथ-साथ

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

विकासात्मक गतिविधियाँ को बाधित करना।

→ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के माध्यम से मूलाधिकारों का हनन करना।

→ खाप पंचायत जैसी ~~[illegible]~~ गैर-कानूनी न्याय प्रणाली से सामाजिक नियमन करने से मानवाधिकारों का हनन।

→ अध्यादेश व राष्ट्रपति शासन के माध्यम से संघीय शक्ति विभाजन समाप्त करना।

संविधानवाद के लक्ष्यों जैसे- सर्वांगीण विकास व समतावादी समाज, विधि का शासन, शक्ति संतुलन स्थापना आदि के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

→ आपराधिक ~~[illegible]~~ निवारण प्रणाली (पुलिस, न्यायपालिका) की अनुक्रियाशीलता बढ़ाकर मॉब लिंचिंग, खाप पंचायतों को नियंत्रित करके मूलाधिकारों का संरक्षण करना

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

→ शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण - संतुलन के सिद्धांतों को अपनाते हुए सरकार के तीनों अंगों द्वारा गैर - जरूरी हस्तक्षेप न करना। यदि समस्या उत्पन्न हो तो केवल सलाहकारी भूमिका तक सीमित रखना।

→ संघवाद व प्रतिस्पर्धी संघवाद के साथ सहयोगी संघवाद को अपनाना। जैसे- अनावश्यक राजनीतिक लाभ हेतु राष्ट्रपति शासन लागू न करना; शक्ति विभाजन को बनाए रखना।

→ लोकतांत्रिक प्रणाली के तृतीय स्तर को सुदृढ़ रखना

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

15. ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने में पेसा अधिनियम की भूमिका को स्पष्ट करें। पेसा अधिनियम की सीमाओं की चर्चा करते हुए इन सीमाओं के निराकरण के संदर्भ में कुछ उपायों की चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

What is the significance of PESA Act in empowerment of Gram Sabhas? While discussing the limitations of PESA Act, discuss some measures to dismantling of these limits. (200 words) 12.5

पेसा अधिनियम ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को ग्रामसभा तक पहुँचाने में महती भूमिका निभायी है

इस अधिनियम ने निम्नलिखित रूप से ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया है-

→ ग्रामसभाओं को विवाद निवारण की शक्ति,

→ लघु वन्य उत्पाद व गौंण खनिजों की बिक्री को विनियमित करना।

→ मदिरा उत्पादन, नियमन हाटों का सामयिक आयोजन।

→ भूमि हस्तांतरण को नियंत्रित करना, जनजाति पुनर्वास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है

→ सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों में जनजातीय भागीदारी बढ़ायी है

पेसा अधिनियम की निम्नलिखित सीमाएँ है-

→ ~~ग्राम~~ ग्राम सभा को अधिकारों का वास्तविक हस्तांतरण नहीं किया गया है

→ ग्राम सभा की गतिविधियों में

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

प्राय: प्रशासनिक हस्तक्षेप होता है
→ पर्याप्त वित्तीय संसाधन व कर के स्रोतों का आवंटन न करना
→ इसके साथ ही धार्मिक व जनप्रतिनिधियों में प्रायः हितसंघर्ष देखे जाते हैं
→ भ्रष्टाचार व अवैध गतिविधि (जैसे- वन्योत्पादों की तस्करी) को नियंत्रित करने में असफल रही है

इन सीमाओं को निम्नलिखित उपायों की सहायता से समाधान किया जा सकता है—

→ ग्राम सभा पर ग्राम पंचायत, प्रशासनिक अधिकारी आदि की अधिभावी स्थिति को समाप्त करना।
→ वित्त के अधिक स्रोत, कर के स्रोतों का आवंटन करना। जैसे - मदिरा कर, लघु वन्य उपजों का कर। साथ ही इनका वास्तविक धरातल पर संग्रहण सुनिश्चित करना।
→ जनजातियों में अधिनियम व अधिकारों

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

के प्रति जागरूकता बढ़ाना। साथ ही जनप्रतिनिधियों को समय - समय पर प्रशिक्षण प्रदान कराना।

→ धार्मिक तंत्र पर जैसे ग्राम सचिव पर ग्राम सभा का नियंत्रण हो।

→ योजना व कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा (सोशल ऑडिटिंग) करवाना।

इन उपायों के माध्यम से ~~ग्राम~~ पेसा अधिनियम की समस्या का समाधान किया जा सकता है साथ ही अन्य विधायी उपाय जैसे वनाधिकार अधिनियम 2006 से इसका समन्वय कराया जा सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

16. मूल अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ नीति-निर्देशक तत्त्वों को प्रमुखता प्रदान किये बिना देश का सर्वांगीण विकास एवं समतावादी समाज का निर्माण संभव नहीं है। स्पष्टीकरण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

Holistic development of the country and creation of a socialist society is not possible without safeguarding the Fundamental Rights and giving primacy to the Directive Principles of State Policy. Analyse. (200 words) 12.5

मूलाधिकार भारतीय संविधान में राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते है तो नीति-निर्देशक तत्व सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का।

मूलाधिकार व्यक्ति व समाज के समानता, स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ-साथ सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते है एवं इनको वादयोग्य बनाकर लोकतंत्र मे इनकी वैधता को स्थापित करते है ये लोकतांत्रिक संस्थाओं मे जनभागीदारी के साथ-साथ व्यक्ति के जीवन मे हस्तक्षेप के संदर्भ मे राज्य की भूमिका को निश्चित करते है

वही नीति-निदेशक तत्व भी सर्वांगीण विकास व समतावादी समाज के लिए आवश्यक है मिनर्वा मिल्स वाद मे सर्वोच्च न्यायालय ने मूलाधिकार व

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

इन तत्वों को भारतीय संविधान की आधारशिला कहा था। अतः जनकल्याणकारी सरकार अपनी नीतियों में नीति निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती है

नीति निदेशक तत्वों वर्गों के बीच असमानता को समाप्त करने का समर्थन प्रदान करते हैं तो वहीं पंचायती राज हेतु ग्रामीण स्वशासन की बात भी करते हैं

यही नहीं ये श्रमिकों के लिए उचित कार्यदशा व महिलाओं को उचित प्रसूति सेवाओं का भी समर्थन करते हैं

ये भारत में समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) के माध्यम से व्यक्तिगत कानूनों का सामंजस्य करके एक समान विधिक व्यवस्था व समतावादी समाज की व्यवस्था करते हैं

यही नहीं, ये पर्यावरण व पशुओं के संरक्षण का भी प्रावधान करते हैं ये उचित व वैज्ञानिक कृषि विधियों को अपनाने का भी समर्थन करते हैं।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

समग्र रूप से कहा जाए तो मूलाधिकार व नीति-निदेशक तत्वों के बिना भारतीय स्वतंत्रता आदर्शों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसीलिए विख्यात संविधानविद् ऑस्टिन ने नीति-निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान व लोकतंत्र की आत्मा कहा है

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

17. 'संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ विपक्ष को रचनात्मक विरोध करने का भी अधिकार है।' लेकिन हाल ही में सांसदों द्वारा रचनात्मक विरोध के अधिकार के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न संसदीय गतिरोध का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

'The opposition has right to discuss matters of public welfare and to oppose constructively.' Critically examine the recent parliamentary stalemates arising due to the misuse of right to constructive opposition. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

संसद भारतीय जनता की प्रमुख प्रतिनिधि संस्था है यहाँ नीति निर्माण मे जनहित के समायोजन के लिए संसदीय विशेषाधिकार (अनु० 105) जैसे प्रावधान किये गए है।

संसद प्रशासनिक, कार्यपालिका व वित्तीय उत्तरदायित्व निभाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जैसे— समान नागरिक संहिता का निर्माण करना, उपेक्षित समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना। अविश्वास प्रस्ताव व प्रश्नकाल आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करना।

साथ ही विपक्ष की भूमिका रचनात्मक विरोध की होती है जैसे— सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

की समीक्षा करना, उनमें अपने विचारों का समायोजन करना।

परंतु वर्तमान में राजनीतिक हितों से प्रेरित होकर विपक्ष द्वारा गतिरोध का मार्ग अपनाया जाने लगा है संसद में हंगामा करना जैसी असंसदीय परंपराओं का अनुगमन किया जाने लगा है

हर सरकारी कार्य का विरोध करना अपना वास्तविक दायित्व समझ लिया है जबकि रचनात्मक विरोध को तो कहीं दूर छोड़ आए है

सरकारी कार्यों में गुणात्मक संवर्धन की भूमिका हेतु विपक्ष की भूमिका में तनिक रूप से ह्रास हो रहा है सरकार के कार्य के लिए न्यायिक शरण में जाने जैसी प्रक्रिया को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

अतः विपक्षी दल को सहयोगी व रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए यही मानक सरकार के लिए भी है।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

19. लोक अदालतों की चर्चा करते हुए इनकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। मामलों के त्वरित निस्तारण और न्यायिक भार को कम करने में इनकी उपयोगिता को स्पष्ट करें। (200 शब्द) 12.5

Discuss the features of Lok Adalats. Examine their viability in quick disposal of cases and reducing the judicial burden. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

लोकअदालतों से तात्पर्य है पारंपरिक न्यायिक प्रणाली के समानांतर न्यायप्रणाली जिसमें न्यायिक, नागरिक समाज, न्यायविद् व सामाजिक अनुभवी लोग न्याय प्रणाली में शामिल होते है

लोकअदालतों में समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है जैसे- नागरिक समाज, शिक्षाविद आदि।

लोक अदालतें स्थानीय भाषा में न्याय उपलब्ध कराने के साथ-साथ तीव्र न्याय प्रणाली की स्थापना में भूमिका निभाती है

ये अदालतें वर्तमान दबावग्रस्त भारतीय न्यायप्रणाली के भार को कम करने व विवादों के तीव्र निस्तारण में निम्नलिखित रूप से सहायता करेंगी -

→ ये भौगोलिक रूप से पर्याप्त रूपों

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

वितरित होती है। अतः जनसामान्य की इन तक पर्याप्त पहुँच होगी।

→ ये लागत प्रभावी सिद्ध होंगी। वर्तमान न्यायप्रणाली महँगी है इसलिए वंचित वर्गों को समय पर न्याय वितरण नहीं होता।

→ वादी - प्रतिवादी एक ही मंच पर उपस्थित होते हैं। इसलिए वास्तविक तथ्यों के प्रकट होने की अधिक संभावना होती है क्योंकि पारंपरिक न्याय प्रणाली के तरह उसमें दबाव नहीं होता है।

→ इनको पर्याप्त विधिक प्रक्रिया जैसे आपराधिक संहिता (CrPC) जैसी जटिल प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना होता है इसके विपरीत ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है।

→ भूमि विवाद जैसे तथ्य व आँकड़ों की कमी वाले विवादों के समाधान हेतु।

→ चूँकि इनको केवल सिविल शक्तियाँ

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

प्राप्त होती है अतः पीड़ितों को सजा जैसी प्रक्रिया का भय नहीं रहता।
→ बढ़ते सामाजिक अपराधों जैसे ऑनर किलिंग, कन्या हत्या के समाधान में महत्वपूर्ण रूप से पारिवारिक न्यायपालिका के समक्ष साक्ष्य उपस्थित कर सकते हैं।

समग्र रूप में न्याय की समान पहुँच व समय पर पहुँच को सुनिश्चित करके ये न्यायवितरण प्रणाली में प्रगतिशील व भारमुक्त बना सकते हैं।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

समग्र मूल्यांकन

(Overall Evaluation)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation